माननीय न्यायमूर्ति राजीव भल्ला व रेखा मित्तल के समक्ष

सुरजन सिंह और अन्य- ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदायी

1985 की सीडब्ल्यूपीएनओ.3554

दिसम्बर 21,2012

भारत का संविधान, 1950 -अनुच्छेद 226, 22 7- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 14 - हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 - याचिकाकर्ताओं के चाचा संगत सिंह पाकिस्तान में जमीन के मालिक थे और वर्ष 1947 में भारत में प्रवास करते समय उनकी मृत्यु हो गई - उनके पास कोई पुरुष मुद्दा नहीं था - याचिकाकर्ताओं को भूमि आवंटित की गई और 7950 में कब्जा प्राप्त किया गया - 08.01.1953 को स्वीकृत नामांतरण - संगत सिंह की पुत्री साहिब कौर ने पूरी भूमि के संबंध में सिविल वाद दायर किया - मामला समझौता - उसे 2/5 हिस्से में उसके जीवन के लिए सीमित संपत्ति दी गई थी और तदनुसार 22.10.1956 की डिक्री तैयार की गई थी और 15.01.1962 को नामांतरण स्वीकृत किया गया था - एसडीओ (सिविल) ने 15.01.1979 को 331 कनाइस 10 मरलास को मापने वाले अपने अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण किया - 25.04.1979 को साहिह कौर की मृत्यु हो गई - याचिकाकर्ताओं ने अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण को इस आधार पर चुनौती दी कि साहिब कौर को सीमित संपत्ति दी गई थी, इसलिए, साहिब कौर कभी भी पूर्ण मालिक नहीं बनीं - उत्तरदाताओं ने विरोध किया कि वह पूर्ण मालिक थीं - रिट याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि सहीह कौर पूर्ण मालिक बन गई और अधिकारियों ने सही माना कि याचिकाकर्ता किसी भी नोटिस के हकदार नहीं हैं।

महोदय, चूंकि श्रीमती साहिब कौर को उनके पहले से मौजूद भरण-पोषण के अधिकार के बदले यह भूमि दी गई थी, इसलिए तत्काल परिणाम यह हुआ कि उनका अधिकार उपधारा (1) के तहत परिकल्पित एक पूर्ण संपत्ति में परिपक्व हो गया। इस संदर्भ में, लक्ष्मप्पा और अन्य बनाम बलवा कोम तिरकप्पा चावड़ी (श्रीमती) (1996) 5 उच्चतम न्यायालय के मामले 548 के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इस फैसले का अनुपात श्रीमती साहिब कौर के मामले को कवर करता है ताकि हमें यह मानने में सहायता मिल सके कि वह उसे दी गई संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई, यह स्वीकार करते हुए कि उसे अपने पिता और उनकी मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति से रखरखाव

प्राप्त करने का अधिकार था। चूंकि श्रीमती साहिब कौर इस भूमि की पूर्ण मालिक बन गई थीं, इसलिए अधिकारियों ने सही माना है कि याचिकाकर्ता निर्धारित प्राधिकरण, सिरसा द्वारा आदेश पारित करने से पहले किसी भी नोटिस के हकदार नहीं थे, जिसमें सूट भूमि को श्रीमती साहिब कौर के हाथों में अधिशेष घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं की यह दलील अप्रासंगिक है कि श्रीमती साहिब कौर के अनुमेय क्षेत्र को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है। याचिकाकर्ता उक्त भूमि के लिए एक मार्ग की तलाश करने के लिए कानून के तहत उचित कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं, यदि पहले से उपलब्ध नहीं है। (पैरा 11)

याचिकाकर्ताओं के लिए कोई नहीं

प्रतिवादियों के लिए हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल डी. खन्ना

रेखा मित्तल, जे.

(1) याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर, सिरसा (अनुलग्नक पी-3) द्वारा पारित दिनांक 7.3.1983 के उप मंडल अधिकारी (सिविल), निर्धारित प्राधिकारी, सिरसा (अनुलग्नक पी-1) द्वारा पारित दिनांक 7.3.1983 के दिनांक 15.1.1979 के आदेशों और वित्तीय आयुक्त, हरियाणा (अनुलग्नक पी-7) द्वारा पारित दिनांक 20.5.1985 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

(2) याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के चाचा संगत सिंह पाकिस्तान में जमीन के मालिक थे और वर्ष 1947 में भारत प्रवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने संगत सिंह के नाम पर जमीन आवंटित करने का दावा दायर किया क्योंकि संगत सिंह के पास कोई पुरुष मुद्दा नहीं था। याचिकाकर्ताओं को संगत सिंह के नाम पर 47 मानक एकड़ और 10 यूनिट जमीन आवंटित की गई थी। संगत सिंह मृतक की विरासत का म्यूटेशन नंबर 2319 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वीकृत किया गया था

8.1.1953. 'याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1950 में संगत सिंह को आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त किया। आगे यह तर्क दिया गया है कि सूट। संगत सिंह की पुत्री साहिब कौर ने संगत सिंह को आवंटित पूरी जमीन के संबंध में दीवानी वाद दायर किया। सिविल सूट में, अंततः एक समझौता किया गया था और उसे संगत सिंह को आवंटित भूमि के 2/5 वें हिस्से में उसके जीवन के लिए एक सीमित संपत्ति दी गई थी और तदनुसार 22.10.1956 को एक डिक्री तैयार की गई थी और श्रीमती के पक्ष में नामांतरण संख्या 2541 स्वीकृत की गई थी। 15.1.1962 को साहिब कौर। आगे यह तर्क दिया गया है कि श्रीमती साहिब कौर के पास कोई मुद्दा नहीं था और 15.1.1979 को, उप-विभागीय अधिकारी (सिविल), सिरसा, ने मैटी के तहत

भूमि जोत अधिनियम, 1972 (इसके बाद "1972 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित प्राधिकरण ने 331 कनाल- 10 मरला को मापने वाले अपने अधिशेष क्षेत्र को निर्धारित किया। श्रीमती साहिब कौर की मृत्यु 25.4.1979 को हुई, लेकिन फॉर्म-IV 28.7.1979 को तैयार किया गया। एफएचसी याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर, सिरसा के समक्ष दिनांक 15.1.1979 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जिसे 7.3.1983 को खारिज कर दिया गया था। कलेक्टर, सिरसा के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को भी 29.4.1983 को आयुक्त, हिसार डिवीजन, हिसार द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय आयुक्त, हरयना के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे भी दिनांक 20.5.1985 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि निर्धारित प्राधिकारी, सिरसा, अपीलीय प्राधिकारी और आरसीवीएजी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अवैध हैं और उन्हें रद्द किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रीमती साहिब कौर का अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था और उन्हें सिविल कोर्ट के समक्ष किए गए समझौते के मद्देनजर केवल एक सीमित संपत्ति दी गई थी, इसलिए, वह कभी भी संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं बनीं और इसलिए, उनके हाथों में कोई भी संपत्ति अधिशेष क्षेत्र घोषित नहीं की जा सकती है। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता उस भूमि के वास्तविक मालिक थे जिसके संबंध में श्रीमती सोनिया गांधी के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया था। अत अतिरिक्त क्षेत्र को बिना अभियोग लगाए और सुनवाई का अवसर दिए बिना बंद नहीं किया जा सकता था। आगे यह तर्क दिया गया है कि सभी अधिकारियों ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद "1956 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 14 की गलत व्याख्या की है कि साहिब कौर "1956 अधिनियम" की धारा 14 (1) के तहत भूमि की पूर्ण मालिक बन गईं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि श्रीमती वृंदा कारत के अनुमेय क्षेत्र के रूप में घोषित भूमि को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है। साहिब कौर जो उनकी मृत्यु पर याचिकाकर्ताओं को विरासत में मिली है।

(3) दूसरी ओर, हरियाणा राज्य के वकील का तर्क है कि जैसा कि श्रीमती साहिब कौर को उनके पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से रखरखाव के अधिकार के बदले में यह जमीन आवंटित की गई थी, "1972 अधिनियम" के तहत अधिकारियों ने सही माना है कि श्रीमती साहिब कौर को दी गई सीमित संपत्ति सिविल कोर्ट के समक्ष पार्टियों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर, "1956 अधिनियम" की धारा 14 (1) के तहत उसका पूर्ण स्वामित्व बन गया। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि श्रीमती साहिब कौर इस संपत्ति की पूर्ण मालिक थीं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई श्रीमती साहिब कौर के हाथों में अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के संबंध में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि श्रीमती साहिब कौर को अनुमेय और अधिशेष क्षेत्र की आसानी तय करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस दिया गया था, लेकिन श्रीमती साहिब कौर को ज्ञात कारणों से, उन्होंने प्रक्रियाओं का विरोध नहीं किया। विद्वान वकील द्वारा किया गया अंतिम निवेदन यह है कि यदि श्रीमती साहिब कौर को आवंटित अनुमेय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो याचिकाकर्ता रास्ता तलाशने के लिए कानून के तहत उचित उपाय का सहारा ले सकते हैं।

(4) हमने पक्षों के वकीलों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

(5) पक्षकार स्वीकार करते हैं कि विवादित भूमि संगत सिंह के नाम पर उनके द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के बदले आवंटित की गई थी। श्रीमती साहिब कौर स्वर्गीय संगत सिंह की पुत्री हैं। उसने संगत सिंह की पूरी संपत्ति के हक का दावा करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया। याचिकाकर्ताओं की दलील के अनुसार, विवाद को समझौता के माध्यम से सुलझाया गया था और श्रीमती साहिब कौर को संगत सिंह को आवंटित भूमि में से 2/5 वां हिस्सा एक सीमित संपत्ति के रूप में दिया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील में कलेक्टर, सिरसा द्वारा दिनांक 7.3.1983 (अनुलग्नक पी-3) पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक दलील दी है कि सिविल कोर्ट के डिक्री दिनांक 22.10.1956 के अनुसार, साहिब कौर अपने जीवनकाल के दौरान अपने रखरखाव के लिए इस भूमि का आनंद लेने की हकदार थी और उसे संपत्ति हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद, कलेक्टर के समक्ष याचिकाकर्ताओं (अपीलकर्ताओं) और प्रतिवादी प्रीतम सिंह को वापस करना था। अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि "1956 अधिनियम" की धारा 14 की व्याख्या अधिकारियों के सामने उठाया गया मुख्य विवाद था। सभी अधिकारियों द्वारा लगातार यह निर्णय लिया गया है कि "1956 अधिनियम" की धारा 14 (1) के मद्देनजर श्रीमती साहिब कौर इस भूमि की पूर्ण मालिक बन गईं और इसलिए, श्रीमती साहिब कौर के हाथों में अधिशेष क्षेत्र के संबंध में आदेश सही पारित किया गया है।

(6) 'एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या श्रीमती साहिब कौर उस समझौते के अनुसार उसे दी गई संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गईं, जिसके कारण सिविल कार्यवाही में 22.10.1956 को रद्द कर दिया गया। समझौता विलेख या समझौता इस न्यायालय के समक्ष अवलोकन और प्रशंसा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। 1 कम सीवीसीआर के मामले में, याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि श्रीमती साहिब कौर को उनके भरण-पोषण के अधिकार के बदले यह जमीन दी गई थी। अब, प्रश्न उठता है कि क्या श्रीमती साहिब कौर को दी गई भूमि "1956 अधिनियम" की धारा 14 (1) या 14 (2) के दायरे में आएगी? 1956 अधिनियम की धारा 14 यहां उद्धृत की गई है

"हिंदू महिला की संपत्ति उसका पूर्ण संपत्ति होना- (1) हिंदू महिला द्वारा धारित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले अर्जित की गई हो या बाद में, उसके द्वारा उसका पूर्ण स्वामी के रूप में धारण की जाएगी न कि सीमित स्वामी के रूप में।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, "संपत्ति" में हिन्दू स्त्री द्वारा उत्तराधिकार या वसीयत द्वारा या विभाजन पर या भरण-पोषण या भरण-पोषण के बकायों के बदले या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा, चाहे वह रिश्तेदार हो या नहीं, विवाह से पहले, या उसके बाद या अपने कौशल या परिश्रम से, या क्रय द्वारा या नुस्खे द्वारा अर्जित चल और स्थावर दोनों सम्पत्ति सम्मिलित है, या किसी भी तरह से जो भी हो, और अधिनियम ***के प्रारंभ होने से ठीक पहले*** उसके सहायक द्वारा धारित ऐसी कोई संपत्ति भी।

(2) उप-धारा (I) में निहित कुछ भी किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होगा जो कि वसीयत के माध्यम से या किसी अन्य उपकरण के तहत या एक डिक्री या एक सिविल कोर्ट के आदेश के तहत या एक पुरस्कार के तहत अर्जित किया गया है जहां उपहार, वसीयत या अन्य उपकरण या डिक्री, आदेश या अवार्ड की शर्तें ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करती हैं।

1956 के अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के तत्व निम्नानुसार हैं: -

(1) संपत्ति उपहार, वसीयत या एक आदेश, डिक्री या सिविल कोर्ट के आदेश या किसी भी पुरस्कार के माध्यम से अर्जित की गई होनी चाहिए;

(2) कि इस तरह के दस्तावेज, आदेश या डिक्री को ऐसी संपत्ति में एक प्रतिबंधात्मक अधिकार निर्धारित करना चाहिए; और

(3) इस तरह के उपकरण, दस्तावेज या अन्य को ऐसी हिंदू महिला में एक नया अधिकार या हित प्रदान करना चाहिए, न कि किसी पूर्व-मौजूदा अधिकार को मान्यता देने या उसे प्रभावी करने के माध्यम से, जो उसके पास पहले से मौजूद है।

(7) ***वी. तुलसम्मा*** बनाम ***वी. सेशा रेड्डी (1) में,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 14 के इन दो उप-वर्गों के साथ-साथ एक महिला हिंदू के अधिकार के संबंध में कानूनी स्थिति की व्याख्या की है जिसमें कानूनी परिणामों को संक्षेप में निम्नानुसार किया गया है: -

(8) हिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार एक खोखला गुच्छेपन या एक भ्रामक दावा नहीं है जिसे अनुग्रह और उदारता के मामले के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि संपत्ति के खिलाफ एक मूर्त अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहता है और शुद्ध शास्त्रिक हिंदू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और आदेशित है और याज्ञवल्क्य से मनु तक शुरू होने वाले पहले के हिंदू न्यायविदों द्वारा भी दृढ़ता से जोर दिया गया है। ऐसा अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन यह संपत्ति के खिलाफ एक अधिकार है और पति का अपनी पत्नी को बनाए रखने का व्यक्तिगत दायित्व है और यदि उसके या परिवार के पास संपत्ति है, तो महिला को कानूनी अधिकार है कि वह उसे बनाए रखे। यदि किसी महिला के भरण-पोषण के लिए प्रभार सृजित किया जाता है तो उक्त अधिकार कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो जाता है। किसी भी दर पर, यहां तक कि बिना किसी शुल्क के रखरखाव का दावा निस्संदेह एक पूर्व-मौजूदा अधिकार है, इसलिए इस तरह के अधिकार की घोषणा या मान्यता देने वाला कोई भी हस्तांतरण कोई नया शीर्षक प्रदान नहीं करता है, लेकिन केवल पहले से मौजूद अधिकारों का समर्थन या पुष्टि करता है।

(2) धारा 14(1) और उसके स्पष्टीकरण को यथासंभव व्यापक शब्दों में प्रस्तुत किया गया है और इसे महिलाओं के पक्ष में उदारतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए ताकि 1956 के अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और इस लंबे समय से आवश्यक कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जा सके।

(3) धारा की उपधारा (2) एक परंतुक की प्रकृति में है और धारा 14 (1) के संचालन में हस्तक्षेप किए बिना इसका अपना एक क्षेत्र है। परंतुक का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे मुख्य उपबंध के प्रभाव या धारा 14(1) द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण के प्रभाव को इस प्रकार नष्ट किया जा सके कि वह मुख्य उपबंध के साथ पूर्णतः असंगत हो जाए,

(4) धारा 14 की उपधारा (2) लिखतों, डिक्री, पुरस्कारों, उपहारों आदि पर लागू होती है जो पहली बार महिलाओं के पक्ष में स्वतंत्र और नए शीर्षक बनाते हैं और इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां संबंधित साधन केवल पहले से मौजूद अधिकारों की पुष्टि, समर्थन, घोषणा या मान्यता देना चाहता है। ऐसे मामलों में एक महिला के पक्ष में एक प्रतिबंधित संपत्ति कानूनी रूप से स्वीकार्य है और धारा 14 (1) इस क्षेत्र में काम नहीं करेगी। जहां, हालांकि, एक उपकरण केवल पहले से मौजूद प्रकाश की घोषणा या पहचान करता है, जैसे कि रखरखाव या विभाजन या शेयर का दावा जिसके लिए महिला हकदार है, उप-धारा का बिल्कुल कोई आवेदन नहीं है और महिला का सीमित हित स्वचालित रूप से धारा 14 (1) के बल पर एक पूर्ण में बढ़ जाएगा और प्रतिबंध लगाए जाएंगे, यदि कोई हो, तो दस्तावेज़ के तहत अनदेखा करना होगा। 'पीएचयू, जहां एक संपत्ति को रखरखाव या विभाजन में हिस्सेदारी के बदले एक महिला को आवंटित या हस्तांतरित किया जाता है, उपकरण को उप-धारा (2) के दायरे से बाहर कर दिया जाता है और ट्रांस फोर्स की शक्तियों पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बावजूद धारा 14 (1) द्वारा शासित किया जाएगा।

(5) 'हिंदू महिला द्वारा विभाजन पर अर्जित संपत्ति1, 'या भरण-पोषण के बदले में' या भरण-पोषण का बकाया आदि जैसे शब्दों का प्रयोग। स्पष्टीकरण में धारा 14 (1) स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) को इन श्रेणियों के लिए लागू नहीं करती है जिन्हें उपधारा (2) के संचालन से छोड़कर व्यक्त किया गया है।

(6) धारा 14 (1) में विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द 'द्वारा धारित' व्यापक संभव आयाम के चाप हैं और इसमें संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति शामिल है, भले ही मालिक उसके वास्तविक या भौतिक कब्जे में न हो। इस प्रकार, जहां एक विधवा को 1956 अधिनियम पारित होने से पहले या उस समय प्रारंभिक डिक्री के तहत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन अंतिम डिक्री के तहत वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था, तो संपत्ति को उसके पास माना जाएगा और धारा 14 (1) के बल से उसे संपत्ति में पूर्ण हित मिलेगा। यह भी उतना ही अच्छी तरह से तय है कि विधवा का कब्जा हालांकि, दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेष के तहत होना चाहिए, क्योंकि धारा किसी भी अधिकार या शीर्षक के बिना किसी भी रैंक अतिचारक के कब्जे पर विचार नहीं करती है।

(7) धारा 14 (2) में प्रयुक्त शब्द 'प्रतिबंधित संपत्ति' धारा 14 (1) में इंगित सीमित ब्याज से अधिक व्यापक है और उनमें न केवल सीमित ब्याज शामिल है, बल्कि किसी भी अन्य प्रकार की सीमा भी शामिल है जिसे हस्तांतरिती पर रखा जा सकता है।

(2) ***थोटा शेषारथमनिया और अन्य*** बनाम ***थोटा मणिक्यानुना (मृत) में एलआरएस*** और अन्य ((1991)4 एससीसी 312) द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तुइयासम्मा के मामले **(सुप्रा)** में निर्णय का पालन करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि 1956 अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 वहां संचालित होगी जहां पहले से मौजूद कोई अधिकार नहीं था और संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति पहली बार किसी भी उपकरण के तहत प्रदान की जाती है। मैं, atcr, सी***. मसदंतानी मंदलियार और अन्य में।*** श्री ***स्वामीनाथस्विनी स्वामीनाथस्वामी थिरुकोइल और अन्य की मूर्ति के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री स्वामीनाथस्वामी की मूर्ति के विरुद्ध भारत के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। (***(1996)8 एससीसी 525***),*** तुइयासम्मा के मामले (सुप्रा) और **थोटा शशारथम्मा के सीएएससी (सुप्रा) डब्ल्यूसीआरसी** में व्यक्त पहले के दृष्टिकोण **पर** फिर से जोर दिया गया और यह भी जोड़ा गया कि धारा 14 को लिंग आधारित भेदभावों को दूर करने और हिंदू महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने के संवैधानिक लक्ष्य पर सामंजस्यपूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के विघटन के उन्मूलन पर वियना घोषणा में सन्निहित उनके अधिकारों के रूप में है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18.12.1979 को और भारत सरकार द्वारा 19.6.1993 को अनुसमर्थित किया गया था।

(8) जैसा कि याचिकाकर्ता श्रीमती साहिब कौर को उनके रखरखाव के अधिकार के बदले में दी गई भूमि के संबंध में स्वामित्व के अपने अधिकार का दावा करते हैं, इस आधार पर कि वह 1956 के अधिनियम की धारा 14 (2) के आधार पर इसकी पूर्ण मालिक नहीं बनीं, यह उनके लिए अनिवार्य था कि वे साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने पिका को प्रमाणित करें। याचिकाकर्ता 1947 में साहिब कौर की उम्र, उस समय उनकी स्थिति (विवाहित या अविवाहित या विधवा), उनके रखरखाव के लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चुप हैं। मैं 1947 में नाबालिग थी, उसके पिता का दायित्व था कि वह उसका भरण-पोषण करे। हालांकि, उस समय, वह विवाहित थी, लेकिन एक विधवा जिसके पास रखरखाव का कोई स्रोत नहीं था, उसे अपनी विधवा बेटी को बनाए रखने के लिए अपने दायित्व के निर्वहन में अपने पिता से रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार था। याचिकाकर्ता ऐसी कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहे हैं जो यह समझने में सक्षम हो कि श्रीमती साहिब कौर के पास अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में से रखरखाव का कोई पूर्व से मौजूद अधिकार नहीं था, संगत सिंह ने 1947 में पाकिस्तान से प्रवास के दौरान

अपनी जान गंवा दी थी। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि साहिब कौर के पास अपने पिता की संपत्ति को छोड़कर रखरखाव का कोई स्रोत था।

(10) जैसा कि यह हो सकता है, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने श्रीमती साहिब कौर को उनके रखरखाव के अधिकार के बदले में यह जमीन देने के लिए सहमति व्यक्त की, यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने पिता से रखरखाव के अधिकार को मान्यता दी और साथ ही स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में, एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि श्रीमती साहिब कौर के पास भरण-पोषण का कोई स्रोत नहीं था, याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि स्वर्गीय संगत सिंह, उनके पिता का दायित्व था कि वे उनका भरण-पोषण करें और परिणामस्वरूप संगत सिंह द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से बाहर रहने के हकदार हैं। चूंकि श्रीमती साहिब कौर को यह जमीन उनके पहले से मौजूद रखरखाव के बदले में दी गई थी, इसलिए तत्काल नतीजा यह है कि उनका अधिकार उप-धारा (1) के तहत विचार के अनुसार एक पूर्ण संपत्ति में परिपक्व हो गया। इस संदर्भ में, ***लक्ष्मप्पा और अन्य*** बनाम ***हलवा कोम तिरकप्पा चावड़ी (श्रीमती) (4)*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इस सहजता में, श्रीमती बलवा के प्राकृतिक पिता और दत्तक पुत्र ने 1950 में उनके पक्ष में भूमि का उपहार दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वह निराश्रित और खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, उसके भरण-पोषण के लिए प्रावधान उसके जीवनकाल के लिए किया जाना था। इस निर्णय के पैरा 3 में यह कहा गया है कि -

"इस विषय पर कानून का 1 लिघ कोर्ट ने पैरा 546 या 1 हंडू लॉ, 15 वें संस्करण पर मुल्ला की पुस्तक का हवाला देते हुए जायजा लिया था, जिसमें प्रावधान है कि एक हिंदू पिता अपनी अविवाहित बेटियों को बनाए रखने के लिए बाध्य है, और पिता की मृत्यु पर, वे अपनी संपत्ति से बाहर रहने के हकदार हैं। विवाहित बेटी की स्थिति कुछ अलग है। यह स्वीकार किया जाता है कि यदि पुत्री अपने पति से या उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसके पिता के पास यदि उसकी स्वयं की पृथक सम्पत्ति है, तो वह उसका भरण-पोषण करने के लिए नैतिक दायित्व के अधीन है, यद्यपि वह कानूनी नहीं है। प्रथम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि यह स्पष्ट था कि पिता वादी-प्रतिवादी को बनाए रखने के लिए एक दायित्व के तहत था। प्रतीत होता है, ऐसा करने में उच्च न्यायालय उपहार विलेख में की गई घोषणा के प्रति सचेत था जिसमें उसे (4) (1996) 5 SCC548 के रूप में वर्णित किया गया था

निराश्रित और HERSCL F को बनाए रखने में असमर्थ। इस तरह, पिता के पास उसे बनाए रखने के लिए कानूनी दायित्व नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी अनैतिक दायित्व मौजूद था। और

अगर उस नैतिक दायित्व को स्वीकार करते हुए पिता ने अपनी बेटी को संपत्ति हस्तांतरित की थी, तो यह एक दायित्व है जो अच्छी तरह से फलीभूत है। दूसरे शब्दों में, एक नैतिक दायित्व भले ही कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है, पावती द्वारा, इसे कानूनी दायित्व के स्तर पर लाएगा, क्योंकि पिता के लिए यह पूरी तरह से वैध होगा कि वह अपनी बेसहारा बेटी को बनाए रखने के लिए प्यार और स्नेह से खुद को बाध्य करे, यहां तक कि अपनी पैतृक संपत्ति पर उचित सीमा तक अतिक्रमण करे। हिंदू कानून में यह विधिवत स्वीकार किया गया है कि परिवार के कार्ला के पास कुछ परिस्थितियों में, पैतृक संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति है, ताकि इस तरह के दायित्व को पूरा किया जा सके। इसके बजाय हम उक्त पैराग्राफ को आधुनिक संदर्भ में अधिक उदारतापूर्वक कानून की स्थिति के संबंध में समझेंगे जो बाद के वर्षों में लाया गया है। इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार है कि पिता की ओर से अपनी निराश्रित विधवा बेटी का भरण-पोषण करने का दायित्व था।

(11) 'इस फैसले का अनुपात श्रीमती साहिब कौर के मामले को पूरी तरह से कवर करता है ताकि हमें यह मानने में सहायता मिल सके कि वह उसे दी गई संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई, यह स्वीकार करते हुए कि उसे अपने पिता से और उनकी मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति से रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार था। चूंकि श्रीमती साहिब कौर इस भूमि की पूर्ण मालिक बन गई थीं, इसलिए अधिकारियों ने सही माना है कि याचिकाकर्ता निर्धारित प्राधिकरण, सिरसा द्वारा आदेश पारित करने से पहले किसी भी नोटिस के हकदार नहीं थे, जिसमें सूट भूमि को श्रीमती साहिब कौर के हाथों में अधिशेष घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं की यह दलील अप्रासंगिक है कि श्रीमती साहिब कौर के अनुमेय क्षेत्र को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है। याचिकाकर्ता उक्त भूमि के लिए एक मार्ग की तलाश करने के लिए कानून के तहत उचित कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं, यदि पहले से उपलब्ध नहीं है।

(12) ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके मद्देनजर, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है, जिससे पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

*****

<u>अस्वीकरण</u>: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा